ध्यानाकर्षणसूचना संख्या 32

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी को आवास प्रदान करने के लिए वर्ष 2016–17 से "प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण" को लाग ूकिया गया। इस स्कीम के तहत लाभार्थियों का चयन सामाजिक व आर्थिक जनगणना–2011 की सूची से किया जाता हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 में ये सूचियाँ ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध करवाई गई थी तथा ग्राम सभा द्वारा यह सूचियां सत्यापितकि गई। वर्ष 2016–17, 2017–2018 और 2020–2021 कुल 21,471 मकानों (न कि 21,655 मकान) मंजूर किए गए जिनमें से 225 मकान (न कि 250 मकान) निर्माणाधीन है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा उन ग्रामीण परिवारों से, जो कि सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगनणा–2011 (एस.ई.सी.सी.–2011) डाटाबेस से बाहर रह गए थे, को इस स्कीम में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु वर्ष 2019 में आवास प्लस पोर्टल पर आवेदन आंमत्रित किए गए थे। पोर्टल पर प्राप्त कुल 1.68 लाख आवेदन में से 79,707 आवेदक पात्र पाए गए (न कि 78,000)। वर्ष 2021–22 में 7,749 मकान (न कि 7,753 मकान) मंजूर किए गए जिनमें से 859 मकान निर्माणाधीन हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण विकास मंत्रायल, भारत सरकार से राज्य सरकार ने वर्ष 2022–23 व वर्ष 2023–24 में कुल 40,000 आवास का लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया था लेकिन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 तथा 2023–24 के दौरान कोई लक्ष्य आवंटित नही किए गए।

माननीय मुख्यमंत्री ने बजट भाषण 2024–25 में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने कि घोषणा की है। इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जिन्हें महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत भूखंड आवंटित किए गए थे, लेकिन पिछले 15 वर्षों में उन्हें भूखंडों का कब्जा नहीं दिया गया है। उपरोक्त बजट भाषण के पैरा 72 में उन्होने कहा है कि

"मैं ऐसे लगभग 25,000 लाभार्थियों को सितंबर, 2024 तक कब्जा देने की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव करता हूं। यदि पात्र लाभार्थियों को कब्जा नही दिया जा सका तो सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थी परिवार को 1.00 लाख रुपये तक की राशि का लाभ देगी ताकि वह अपना मकान बनाने के लिए अपनी पसंद की जगह पर गांव में भूखंड खरीद सके।"

***

Call Attention Motion No. 32

The Ministry of Rural Development, Govt. of India launched Pradhan Mantri Awaas Yojana - Gramin (PMAY-G) w.e.f. 01.04.2016 to realize the vision of 'Housing for All by 2022'. The rural beneficiaries were identified from the SECC-2011 data wherein the deprived households were listed. In FY 2016-17, these lists were made available at Gram Panchayat level and were verified by the Gram Sabha. In the years 2016-17, 2017-18 and 2020-21, 21,655 houses were sanctioned (and not 21,417) and 225 houses (not 250 houses) are under construction.

Further, Govt. of India invited applications on Awas plus portal for financial assistance under PMAY (G) from those rural families who were left out from SECC-2011 database in Year 2019. Total 1.68 lakh applications were received on the portal and out of which 79,707 were found eligible (and not 78,000). In the year 2021-22, 7,749 houses were sanctioned (not 7,753) and 859 houses are under construction. The State Government had requested the Ministry of Rural Development, Government of India to allocate a target of 40,000 houses for the year 2022-23 and 2023-24. However, the Ministry of Rural Development, Government of India has not allocated any target during the financial year 2022-23 and 2023-24.

Honorable Chief Minister in his Budget Speech 2024-25 has announced launching of Mukhyamantri Gramin Awas Yojana (MMGAY) on the lines of the Mukhyamantri Shehri Awas Yojana. This would benefit to those beneficiaries who were to be allotted plots under Mahatma Gandhi Gramin Basti Yojana but who have not been given possession of the plots in the last fifteen years.

"He has, in para 72 of the said budget speech said that I propose to set a deadline of September 2024 for giving possession to around 25,000 such beneficiaries. In case the possession cannot be granted to the eligible beneficiaries, then the Government will provide a benefit of up to ₹1 lakh to the beneficiary family under the Mukhyamantri Gramin Awas Yojana so that they can buy a plot in the village at a location of their choice for construction of their residence."

***